कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष प्रशासन–II)मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल

फोन. नं. 0755–2674238, **E_mail ID_apccfng@mp.gov.in**

क्रमांक/प्रशा. I I/मुख्या. स्था.4/ 7298 भोपाल,दिनांक 13/12/19

प्रति,

1.समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी(मुख्यालय)
सतपुड़ा भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2.समस्त मुख्य वन संरक्षक
(क्षेत्रीय/अनु. एवं विस्तार/वन्यप्राणी/कार्य आयोजना)
मध्यप्रदेश ।

विषयः तृतीय श्रेणी कर्मचारियों द्वारा म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 19 के तहत अचल सम्पत्ति की जानकारी एवं सम्पत्ति के लेन–देन की संसूचना ।

–0–

विषयांतर्गत लेख है, कि नियमानुसार प्रत्येक शासकीय सेवक को सेवा में प्रथम बार नियुक्त होने पर तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष अचल सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति के लेन–देन की सूचना देना चाहिए। अतः आपके अधीनस्थ पदस्थ प्रत्येक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से नियमित रूप से अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण प्राप्त कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार विभागीय वेबसाईड में दर्ज कराया जाना है।

अतः कर्मचारियों से वर्षवार अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर संबंधित कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के साथ रखा जावें तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म.प्र. भोपाल के द्वारा संचालित विभागीय वेबसाईड में वनमण्डल स्तर से तत्काल दर्ज करावें एवं उसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जावें। यदि अचल सम्पत्ति का विवरण विभागीय वेबसाईड में दर्ज करने में कोई कठिनाई हो, तो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म.प्र. भोपाल से मागदर्शन प्राप्त करे।

(डॉ.धर्मेन्द्र वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन– II)
मध्यप्रदेश भोपाल

C:\Users\hp\Desktop\Letter-2017.doc